

अध्याय - 4 | व्यावसायिक सेवाएँ

- अग्नि बीमा किससे होने वाली हानि को कवर करता है?
 - वाहन दुर्घटना
 - समुद्री तूफान
 - आग से हुई क्षति
 - बीमारी(C)

व्याख्या: आग लगने से संपत्ति को होने वाली क्षति की भरपाई अग्नि बीमा द्वारा की जाती है।

- अग्नि बीमा की अवधि सामान्यतः कितनी होती है?
 - दो वर्ष
 - पाँच वर्ष
 - एक वर्ष
 - दस वर्ष(C)

व्याख्या: अग्नि बीमा सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जाता है।

- अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति किस स्थिति में दी जाती है?
 - जब हानि प्राकृतिक हो
 - जब आग वास्तविक रूप से लगी हो
 - जब बीमित चाहे
 - जब संपत्ति नई हो(B)

व्याख्या: क्षतिपूर्ति तभी दी जाती है जब आग वास्तविक रूप से लगी हो और जान-बूझकर न लगाई गई हो।

- अग्नि बीमा में हानि का मुख्य कारण कौन होना चाहिए?
 - चोरी
 - लापरवाही
 - आग या आग का निकटतम कारण
 - भूकंप(C)

व्याख्या: हानि की भरपाई तभी होती है जब नुकसान आग या उसके निकटतम कारण से हुआ हो।

- अग्नि बीमा करवाने वाले के पास क्या होना आवश्यक है?
 - बैंक खाता
 - बीमा-योग्य हित
 - गोटर आईडी
 - संपत्ति का पूरा नक्शा(B)

व्याख्या: बीमा योग्य हित के बिना अग्नि बीमा अनुबंध निरस्त माना जाता है।

- अग्नि बीमा किस प्रकार का अनुबंध है?
 - पूर्ण सद्वावना पर आधारित
 - मौखिक अनुबंध
 - मनोरंजन आधारित
 - वैकल्पिक अनुबंध(A)

व्याख्या: अग्नि बीमा पूर्ण सद्वावना पर आधारित होता है, जिसमें बीमित को सभी जानकारी ईमानदारी से देनी होती है।

- अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है?
 - बीमित को वास्तविक हानि से अधिक राशि दी जा सकती है
 - हानि की पूर्ति केवल आधी होगी
 - केवल वास्तविक क्षति की भरपाई होगी
 - हानि की भरपाई नहीं की जाएगी (C)(C)

व्याख्या: अग्नि बीमा में केवल वास्तविक क्षति की भरपाई की जाती है, उससे अधिक राशि नहीं दी जा सकती।

- अग्नि बीमा में कौन-सी हानि स्वीकार्य नहीं है?
 - बिजली गिरने से आग लगना
 - जान-बूझकर लगाई गई आग
 - गैस सिलेंडर फटने से आग
 - शॉर्ट सर्किट से आग(B)

व्याख्या: जानबूझकर लगाई गई आग को दुर्घटनात्मक हानि नहीं माना जाता, इसलिए कवरेज नहीं मिलता।

- अग्नि बीमा का उद्देश्य है—
 - लाभ कमाना
 - संपत्ति बदलना
 - आग से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई
 - आग बुझाना(C)

व्याख्या: अग्नि बीमा का उद्देश्य आग से होने वाली संभावित आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करना है।

- अग्नि बीमा अनुबंध अमान्य हो सकता है यदि—
 - प्रीमियम समय पर दिया गया हो
 - बीमित ने सभी जानकारी ईमानदारी से दी हो
 - बीमा-योग्य हित न हो
 - संपत्ति नई हो(C)

व्याख्या: बिना बीमा-योग्य हित के कोई भी बीमा अनुबंध वैध नहीं माना जाता।